भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1651

जिसका उत्तर सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया गया

सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के एनपीए

1651. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:
श्री गौरव गोगोई:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत के सूक्ष्म वित्त क्षेत्र विशेषकर शीर्ष राज्यों में बढ़ती हुई चूकों और अतिदेय ऋणों के लिए जोखिम के अंतर्गत पोर्टफोलियो (पीएआर) में वृद्धि की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा सूक्ष्म वित्त क्षेत्र में विशेषकर 31-180 दिनों की अतिदेय श्रेणी में बढ़ती गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एनपीए) का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं अथवा लघु वित्त बैंकों के एनपीए का ब्यौरा क्या है और विगत पांच वर्षों के दौरान ऋण को बट्टे खाते में डाले जाने के कारण ऐसे संस्थानों की एनपीए में कितनी कमी आई है;

(घ) क्या सरकार सूक्ष्म वित्त संस्थाओं में ऋण चूकों में वृद्धि को रोकने और पीएआर के स्तर में और गिरावट को रोकने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि ऐसी संस्थाएं ऋण प्रदान करते समय उचित जोखिम मूल्यांकन और अनुपालन मानदंडों का पालन करें;

(ड.) क्या सरकार अशोध्य ऋणों में वृद्धि का सामना कर रहीं ऐसी संस्थाओं को राहत देने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार की एनपीए की वास्तविक सीमा को छिपाने के लिए ऐसी संस्थाओं द्वारा लगाई गई ऋण वसूली पद्धतियों की लेखापरीक्षा कराने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के कार्यकलापों और कार्य-निष्पादन की निरंतर निगरानी करता है। आरबीआई द्वारा दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के साथ-साथ दबाव की समय पर पहचान करने और उसमें सुधार करने के लिए कई पहल की गई हैं। साथ ही, बैंकों के बोर्ड को प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है।

आरबीआई द्वारा प्रणाली से संबंधित जोखिमों को दूर करने के लिए पहले से किए गए उपायों के कारण चालू वित्तीय वर्ष में सूक्ष्म-वित्त क्षेत्र के लिए ऋण में कमी आई है। चालू वित्तीय वर्ष में सूक्ष्म-वित्त क्षेत्र दबाव के संकेत दर्शा रहा है।

जिन क्षेत्रों में स्लिपेज में वृद्धि हुई है वहां आरबीआई ने पहले से ही सक्रिय उपाय किए हैं, जिसके द्वारा बैंकों और एनबीएफसी को अपने हामीदारी मानकों को सुदृढ़ करने और इसके साथ ही वसूली के प्रयासों में गति देने की सलाह दी गई है ताकि विद्यमान दबाव एनपीए में न बदले।

आरबीआई ने अपने पर्यवेक्षी संस्थाओं (एसई) और सूक्ष्म-वित्त संस्थानों – स्व विनियमित संगठन (एमएफआई एसआरओ) के साथ कार्य करना जारी रखा है ताकि अपने सदस्यों को विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों, विशेष रूप से पारिवारिक आय निर्धारण और निवल मासिक आय के प्रति पुनर्भुगतान बाध्यताओं से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जागरूक करने हेतु समुचित कदम उठाए जा सकें। यदि कोई गैर-अनुपालन पाया जाता है, तो उसमें सुधार के लिए कार्रवाई की जाती है, साथ ही आवश्यकतानुसार पर्यवेक्षी/प्रवर्तन कार्रवाई भी शुरू की जाती है।

31 मार्च, 2020, 31 मार्च, 2021, 31 मार्च, 2022, 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, स्मॉल फाइनेन्स बैंकों और एनबीएफसी-एमएफआई (ऊपरी और मध्य लेयर में) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 'सकल ऋण और अग्रिम', 'सकल एनपीए' और स्मॉल फाइनेन्स बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 'इसी अवधि के दौरान बट्टे खाते डालने के कारण एनपीए में कमी' के संबंध में सूचना **अनुबंध-I** में दी गई है।

(एनबीएफसी के लिए 'बट्टे खाते डालने के कारण एनपीए में कमी' के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।)

(ङ): वर्तमान में इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च): आरबीआई ने सभी एससीबी (आरआरबी को छोड़कर) और स्मॉल फाइनेन्स बैंकों को स्वचलित आस्ति वर्गीकरण (अग्रिम/निवेश का एनपीए/एनपीआई के रूप में वर्गीकरण और उनका उन्नयन), प्रावधान की गणना करने और स्वचलित आईटी आधारित प्रणाली के माध्यम से आय निर्धारण की प्रक्रिया की पूर्णता और समग्रता सुनिश्चित करने की सलाह दी है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने बैंकों के लिए संवर्ती लेखापरीक्षा के अंतर्गत कवरेज के न्यूनतम क्षेत्र में 'ऋण और अग्रिम' को शामिल किया है। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने बैंकों के सांविधिक लेखापरीक्षकों को बैंकों के ऋण जोखिम क्षेत्रों, विशेष रूप से एनपीए और उनके प्रावधान, डाटा की समग्रता से संबंधित आंकड़ों को संग्रहित करने और अर्धवार्षिक लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में बैंकों द्वारा एनपीए के उन्नयन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में टिप्पणी दिए जाने संबंधी प्रणाली की प्रभावशीलता पर ज़ोर देने की सलाह दी है।

******

अनुबंध-1

स्मॉल फाइनेन्स बैंक और एनबीएफसी-एमएफआई (ऊपरी और मध्य लेयर में) के आंकड़े

राशि करोड़ रुपए में

अवधि	स्मॉल फाइनेन्स बैंक समूह			एनबीएफसी-एमएफआई			
	सकल ऋण और अग्रिम (की तिथि के अनुसार)	सकल एनपीए (की तिथि के अनुसार)	बट्टे खाते डालने के कारण – एनपीए में कमी – (अप्रैल से आज तक की तिथि तक की अवधि के दौरान)	रिपोर्टिंग संस्थाओं की संख्या (वास्तविक)	सकल ऋण और अग्रिम (की तिथि के अनुसार)	सकल एनपीए (की तिथि के अनुसार)	बट्टे खाते डालने के कारण – एनपीए में कमी – (अप्रैल से आज तक की तिथि तक)
31-मार्च-20	91,509	1,709	669	18	47,059	940	उपलब्ध नहीं*
31-मार्च -21	1,11,589	5,971	827	21	64,060	3,240	
31-मार्च-22	1,40,003	6,911	2,897	22	77,955	4,350	
31-मार्च-23	1,84,808	8,608	3,805	22	1,09,383	2,638	
31-मार्च-24	2,29,835	5,590	5,543	24	1,41,599	2,982	

(स्रोत : आरबीआई)

* आरबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार एनबीएफसी के लिए 'बट्टे खाते डालने के कारण एनपीए में कमी' के संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

टिप्पणी:

1. आंकड़े स्मॉल फाइनेन्स बैंकों और एनबीएफसी-एमएफआई (ऊपरी और मध्य लेयर में) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार हैं।
2. बट्टे खाते डाली गई राशि का बड़ा हिस्सा तकनीकी/विवेकपूर्ण /संग्रहण के अधीन अग्रिम के कारण है। बैंकों के पास ऐसे सभी मामलों में उधारकर्ताओं से वसूली करने का अधिकार सुरक्षित है।
3. बैंकों द्वारा बट्टे खाते डालने की प्रकृति और उद्देश्य निम्नलिखित प्रमुख कारणों से अभिशासित होते हैं:-

क. कोई खाता जब एनपीए हो जाता है तो विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाना अपेक्षित होता है और एनपीए की अवधि के साथ-साथ प्रतिभूति के प्राप्य मूल्य के आधार पर इन प्रावधानों में वृद्धि होती है और फिर ऐसी स्थिति आती है जब प्रावधान की राशि खाते में बकाया राशि के समतुल्य हो जाती है। इसलिए, जब खाते के लिए पूर्ण प्रावधान किया जाता है तो बैंक के पास एक ओर आस्ति होती है और दूसरी ओर इसके समतुल्य प्रावधान होता है। इसलिए, तुलनपत्र प्रबंधन के भाग के रूप में और न्यूनतम अपेक्षित कर निर्धारण के लिए बैंक अपने बोर्ड से अनुमोदित नीति के अनुसार तकनीकी बट्टे खाते डालने का सहारा लेते हैं।

ख. बैंकों द्वारा बट्टे खाते डालना पूरी तरह से एक लेखा प्रविष्टि है, जिसमें तुलनपत्र की मदों को तुलनपत्रेतर मदों में अंतरित कर दिया जाता है और इन्हें आम तौर पर 'संग्रह के अंतर्गत अग्रिम' के रूप में अभिचिह्नित खंड में डाल दिया जाता है और इसके बाद वसूली के लिए विशेष दल होते हैं, जो अनुवरती कार्रवाई करते हैं। ऋण चुकाने के लिए उधारकर्ता की देयता या बैंक के वसूली के अधिकार में किसी भी तरह से कमी नहीं आती है।

ग. बैंक ऐसे खातों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो अधिक वसूली सुनिश्चित करने के लिए विशेष खाते में रखे जाते हैं, क्योंकि ऐसी वसूली से लाभ और हानि खाते की सहायता होती है और फिर यह बैंक की वित्तीय स्थिति के सुधार में योगदान देते हैं।

******